संलग्नक -02

संख्या–1075/XXVIII(1)/2013-32/2003 TC-II Cover

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड।

2. अपर निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा निदेशालय,
देहरादून,उत्तराखण्ड।

3. प्राचार्य,
समस्त राजकीय मेडिकल कालेज,
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 08 मई, 2013

विषयः– राजकीय मेडिकल कॉलेजों में स्नातक तथा परास्नातक पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षण शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान में संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर और हल्द्वानी में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण शुल्क निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश संख्या--943/XXVIII(1)/2008-19/2005-T.C-IV, दिनांक 23.07.2008, संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या–974/XXVIII(1)/2008-19/2005-T.C-IV, दिनांक 04.08.2008 तथा शासनादेश संख्या-2735/दस-2005 8(9)/2004, दिनांक 23.07.2008 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– राजकीय मेडिकल कालेजों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु उक्त संस्थानों द्वारा छात्रों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के मानकानुसार समस्त अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने तथा उनके आवर्ती व्ययों को सुचारू रूप से वहन किये जाने के दृष्टिगत शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड राज्य में संचालित राजकीय मेडिकल कालेजों के स्नातक (एम0बी0बी0एस0) तथा परास्नातक (एम0डी0/एम0एस0) पाठ्यक्रमों के शिक्षण शुल्क के पुनरीक्षण के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय मेडिकल कालेजों हेतु शैक्षणिक सत्र 2013–14 से निम्नवत शिक्षण शुल्क लिए जाने का निर्णय लिया गया है:–

(धनराशि रुपये में)

क्र0 सं0	पाठ्यक्रम	पूर्व निर्धारित शुल्क		शैक्षणिक सत्र 2013–14 से निर्धारित शिक्षण शुल्क	
		बॉण्ड धारक छात्रों हेतु	बॉण्ड न भरने वाले छात्रों हेतु	बॉण्ड धारक छात्रों हेतु	बॉण्ड न भरने वाले छात्रों हेतु
1.	एम0बी0बी0एस0	15,000.00	2,20,000.00	40,000.00	4,00,000.00
2.	परा स्नातक पाठ्यक्रम एम0डी0/एम0एस0	40,000.00 (वर्तमान में बॉण्ड लागू नहीं।)		60,000.00	5,00,000.00

प्राचार्य / डीन
वी.च.सिं.ग. राजकीय आयु. वि. शोध संस्थान
श्रीनगर (गढ़वाल)

3-- उक्त पुनरीक्षित शिक्षण शुल्क की व्यवस्था उत्तराखण्ड के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2013–14 में प्रवेशित बैच से लागू की जायेगी। उक्त सत्र से पूर्व प्रवेशित बैच से पूर्व निर्धारित शिक्षण शुल्क ही लिया जायेगा।

4-- राजकीय मेडिकल कॉलेजों के शिक्षण शुल्क के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश/कार्यालय ज्ञाप उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

उक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली।
7. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
उप सचिव।

प्राचार्य / डीन
वी.च.सिं.ग. राजकीय आयु. वि. शोध संस्थान
श्रीनगर (गढ़वाल)

संख्या–372 /XXVIII(5)/2020-32/2003 T.C II Cover

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांक 03 जुलाई, 2020

विषय :– राजकीय मेडिकल कॉलेजों में संचालित पी0जी0 नॉन क्लीनिकल पाठ्यक्रमों का शिक्षण शुल्क निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–97/चि0शि0/03 (मेडिकल)/16/2017 दिनांक 29 अप्रैल, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें राजकीय मेडिकल कॉलेजों में संचालित पी0जी0 नॉन क्लीनिकल पाठ्यक्रमों के शुल्क को पुनर्निधारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– शासनादेश संख्या–1075/XXVIII(1)/2013-32/2003 T.C II Cover दिनांक 08 मई, 2013 द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेजों में स्नातक तथा परास्नातक पाठ्यक्रमों का शिक्षण शुल्क का निर्धारण किया गया है। उक्त शासनादेश में शैक्षणिक सत्र 2013–14 से परास्नातक पाठ्यक्रम का शुल्क बॉण्डधारी छात्रों के ₹ 60,000/– तथा बॉण्ड न भरने वाले छात्रों के लिए ₹ 5,00,000/– निर्धारित है।

3– शासनादेश संख्या–837/XXVIII(1)/2013-19(मे0का0)/2015 दिनांक 26 जून, 2019 द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेजों में संचालित पी0जी0 नॉन क्लीनिकल पाठ्यक्रम में बॉण्ड की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।

4– अतः राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पी0जी0 नॉन क्लीनिकल पाठ्यक्रमों की सीटें रिक्त रहने/छात्रों द्वारा प्रवेश में रूचि नही लिये जाने एवं शासनादेश संख्या–837/XXVIII(1)/2013-19(मे0का0)/2015 दिनांक 26 जून, 2019 में किये गये प्राविधान के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नॉन क्लीनिकल पी0जी0 पाठ्यक्रम

D:\computer data till 2020\Yashwant Sir\Draft 2020.doc

Scanned by CamScanner

(एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी एवं कम्यूनिटी मेडिसिन) का शैक्षणिक सत्र वर्ष 2020–21 से वार्षिक ₹ 1,00,000/– (₹ एक लाख) का शिक्षण शुल्क निर्धारित किया जाता है।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–58(म0)(3)/2020 दिनांक 03 जुलाई, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या–372/XXVIII(5)/2020-32/2003 T.C II Cover एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– कुलपति, हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
2– कुलसचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
3– समस्त प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, उत्तराखण्ड।
4– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर मिश्रा)
अनु सचिव

Scanned by CamScanner

प्रेषक,

सुनील कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–5 देहरादून: दिनांक 13 अक्टूबर, 2021

विषय:– राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर में शैक्षणिक सत्र 2021–22 में पोस्ट एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा में प्रवेश लेने वाले चिकित्सकों हेतु सर्विस बॉण्ड के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–2749/चि0शि0/03(मेडिकल)/159/2021 दिनांक 12 अक्टूबर, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर गढ़वाल में शैक्षणिक सत्र 2021–22 में पोस्ट एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा में प्रवेश लेने वाले चिकित्सकों हेतु सर्विस बॉण्ड के संबंध में दिशा–निर्देश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– शासनादेश संख्या–1145 दिनांक 23 मई, 2013 के अनुसार एम0डी0/एम0एस0 के राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड हस्ताक्षरित करने वाले छात्र रू0 60,0000/– मात्र वार्षिक शिक्षण शुल्क (रू0 साठ हजार मात्र वार्षिक) तथा बॉण्ड हस्ताक्षरित न करने वाले छात्र रू0 5,00,000/– मात्र वार्षिक शिक्षण शुल्क (रू0 पांच लाख मात्र वार्षिक) देंगे तथा शासनादेश संख्या–374 दिनांक 31 मार्च, 2017 के अनुसार राजकीय मेडिकल कॉलेजों से एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रम में रियायती दरों पर अध्ययनरत छात्रों हेतु प्रख्यापित बॉण्ड के नवीन प्रारूप के अनुसार "After successful completion of the course of study the bouden shall serve any of Government Hospital/Health Centre situated in hilly region of the State for a period of two year anywhere in Uttarakhand" अथवा एकमुश्त रू0 2,50,00,000/– (रू0 दो करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि जमा किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पोस्ट एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा कोर्स के संबंध में भी उपरोक्त प्रस्तर–2 में निर्धारित शुल्क एवं शर्तों के अनुसार ही अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Sunil Kumar
Singh
Date: 13-10-2021 17:31:22
Reason: Approved

सुनील कुमार सिंह
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि :– प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।